दिनांक 16 अप्रैल 2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

हार्डवेयर एवं स्टेशनरी दुकान पाया गया खुला , उड़नदस्ता की टीम ने बंद कराकर लगाया जुर्माना

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों का निरीक्षण निगम की उड़नदस्ता की टीम द्वारा किया जा रहा है , एवं जोन के राजस्व अधिकारियों द्वारा भी टीम बनाकर दुकानों,बाजारों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है! लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने निगम की टीम मुस्तैद है और ऐसे दुकान संचालक जो आदेशों के उल्लंघन का प्रयास कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है! वार्ड क्रमांक 22 लिंक रोड में राठी बुक्स एवं स्टेशनरी द्वारा दुकान खुला पाए जाने पर 2000 रुपए अर्थदंड लगाकर बंद कराया गया! वार्ड क्रमांक 27 फौजी नगर में निर्मल किराना स्टोर द्वारा समय के पश्चात भी दुकान खुला रखने पर 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया, वार्ड क्रमांक 8 जय बाबा नमकीन द्वारा शिक्षक नगर कोहका में भीड़ बढ़ाकर मिक्सचर नमकीन का निर्माण किया जा रहा था जिससे 20000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया! नवदुर्गा एवं जनरल स्टोर शिक्षक नगर द्वारा दुकान में एस्पायरी सामग्री जैसे डालडा , सोन पापड़ी, मिक्सचर, सोया सास एवं डिस्पोजल गिलास विक्रय करने पर 6000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया, चुन्नू किराना स्टोर द्वारा अधिक कीमत पर खाद्य सामग्री बेचने पर 3000 रुपए वसूल किया गया! सलूजा थ्रेड हाउस सर्कुलर मार्केट कैंप 2 से 500 रुपए, मद्रास किराना स्टोर से 500 रुपए, धीरज सब्जी दुकान से सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर 500 रुपए, गोयल हार्डवेयर द्वारा दुकान खोलकर सामग्री विक्रय किए जाने पर 4000 रुपए जुर्माना, वर्मा ब्रदर्स प्रोविजंस पावर हाउस द्वारा गुमास्ता लाइसेंस नहीं होने

जनसंपर्क अधिकारी